प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज, दिनांक अगस्त 01, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-
जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 217 वाहनों का चालान किया गया तथा 07 वाहन से 8500/- रु0 का समन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 30 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त हरि साहनी पुत्र सुक्खु नि- बरगाहपुर थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बराद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 146/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मनोज पटवा पुत्र ब्रह्मा नि0 मेदनीपुर थाना घुघली जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रविन्द्र पुत्र हरिहर नि0 निरनाम पूर्वी थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 159/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त लालजी पुत्र मुनेसर नि0 पिपरा तहसीलदार थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 160/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विष्णु मद्धेशिया पुत्र भोला प्रसाद नि0 अशोक नगर वार्ड नं0 5 थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 18 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 305/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त रवि पासवान पुत्र स्व0 परदेशी नि0 पिपरा रसूल पुर थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 306/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त इन्द्रेश पुत्र भगवंत नि0 लक्ष्मीपुर देउरवां टोला लालपुर थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 308/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त गौतम जायसवाल पुत्र दयाशंकर नि0 रेहांव कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 309/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

एनडीपीएस एक्ट में की गयी कार्यवाही

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त धर्मशेखर पुत्र नेपाल प्रसाद नि0 छितौना मेहौली कला थाना निचलौल जनपद महराजगंज के अवैध नशीली दवा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विरेन्द्र जायसवाल पुत्र सुण्डी नि0 नौतनवां थाना नौतनवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 31 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त इलियास मोहम्मद पुत्र सैनुल्लाह नि0 फरेन्दा 2. रामशेखर पुत्र शम्भूनाथ तिवारी नि0 धौरहरा थाना सोनौली 3. रामवृक्ष पुत्र रामकिशुन नि0 शेष फरेन्दा 4. सिध्दनाथ गुप्ता पुत्र चन्द्रिका नि0 गनवरिया थाना सोनौली के कब्जे से 06 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त गोविन्द पुत्र हरिनारायण नि0 सिसवनिया थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 307/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 16 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 31.07/01.08.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 40 अभियुक्तो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।